<u>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</u>

<u>अपील संख्या – 1926/2013/जयपुर</u>

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वाणिज्यिक कर विभाग, वृत–ए, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मै. मेडीकल केयर सिस्टम,
आदर्श नगर, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u>

<u>श्री खेमराज, अध्यक्ष</u>

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक ....अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.01.2017

<u>निर्णय</u>

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 14/अपील्स–I/सीएसटी/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवद्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत कायम शास्ति रूपये 3,252/– एवं ब्याज रूपये 2,095/– कुल राशि रूपये 6,607/– को अपास्त करते हुये प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के चारों तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में आरोपित विलम्ब शुल्क एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

क्रमशः............................2

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा शेष रहे घोषणा प्रपत्र–सी कर निर्धारण की कार्यवाही के समय ही कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया ।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि अपीलार्थी का वर्ष 2009–10 में अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध की गई अपील का निस्तारण अपील संख्या 13/2012–13 दिनांक 05.04.2013 में अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई है।

7. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.04.2013, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है, पूर्णतया उचित होने से उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

8. राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. आदेश प्रसारित किया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष